फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम गोपीलाल

ायालय

ख्या 165/2024

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	24/5/2024	वकील वादी ने वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया वादी की वाद पत्र पर सुना गया। वादीगण का [illegible] लिया जाता है लिखित विविध प्रपत्र से लिखवाया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया पत्रावली मिसल [illegible] 6 जून [illegible] बाद तामील दाखिल इश्तहार उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : ..../2024
निर्णय दिनांक : 24.05.2024

लक्ष्मीनारायण पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गैन्दीलाल पुत्र लादु
2. रामुलाल पुत्र लादु,

निवासीयान– ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

3. नाथु पुत्र प्रताप, निवासीयान– ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– प्रोफार्मा प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व के खसरा न. 234 रकबा 0.06 गैरमुमकीन आबादी खसरा न. 454/516 रकबा 0.03 खसरा न. 459 रकबा 0.04 कुल खसरा 3 रकबा 0.13 हैक्टर स्थित ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर है। उक्त कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 है। जिसका वादी उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी के भूमि के पास ही प्रतिवादी न. 1 के स्वामित्व की भुमि खसरा न. 455 से 458, 461 से 463, 465, 475 से 480, व 535/453 कुल किता 15 रकबा कुल 2.17 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 357, 358, 460 कुल किता 3 रकबा कल 4.70 हैक्टर स्थित ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर है। प्रतिवादीगण के स्वामित्व की भूमि की भूमि [illegible] के नजदीक है तथा राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत रोड [illegible] के कारण प्रतिवादी की मद न. 2 की भूमि सरकार द्वारा [illegible] प्रतिवादीगण की मुख्य सडक की ओर भूमि कम हो गयी। किन्तु प्रतिवादी [illegible] जिशन जानबूझकर वादी की भूमि खसरा न. 459 रकवा 0.04 को स्वयं की भूमि में मिला लेना चाहता है। जिसका प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक व अधिकार नही है। दिनांक 7.5.2024 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिवादीगण न. 1 ता 2 स्वयं के साथ 5–7 व्यक्तियो को लेकर वादी के कब्जेकाश्त की भूमि पर आये एव अवैध रूप से वादी की भूमि मे की नाप चोख करने लगे, वादी ने इन्हे स्वयं की भूमि में प्रवेश करने से रोका तो बोला की हम तो तुम्हारे हिस्से की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर हमारी भूमि मे मिलाकर यहाँ पुख्ता निर्माणात करेंगे तुम्हारे जो मर्जी मे आये वह करों। यदि प्रतिवादीगण स्वयं के मंसूबो मे कायमयाब हों गये एवं वादी के स्वामित्व व खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर स्वयं की शेष बची भूमि मे मिला लिया तो वादी स्वयं की भूमि से सदैव के लिये महरूम हो जावेगां। वादी को अनावश्यक की मुकदमे बाजीयो में उलझना पडेगा एवं वादी को ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी सूरत मे संभव नहीं हो पायेंगा। वह प्रतिवादी न. 1 ता 2 उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, अभिकर्ता आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवा देवे कि वें मद न. 1 में वर्णित खसरा न. 459 रकबा 0.04 हैक्टर स्थित ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तह. सांगानेर जिला जयपुर पर अवैध रूप से कब्जा ना करे ना करावें, वादी को जबरन बेदखल ना करे व करावें, तथा ना ही वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें व करावें। एव मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी नम्बर–4 दौराने वाद राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन न करें ना करावें। प्रतिवादी न.4 राजस्व रिकोर्ड होल्डर है, इस कारण पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र मे सीधे इनसे कोई रिलीफ नही चाही गयी है। दावा बिनाय मुखारस्मत दिनांक 07.05.2024 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 द्वारा स्वयं के साथ अन्य दीगर व्यक्तियो को लेकर आने एवं कब्जा किये जाने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर निरन्तर उत्पन्न हुई।

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मद न. 1 मे वर्णित कृषि भूमि में से खसरा न. 459 रकबा 0.04 हैक्टर स्थित ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तह. सांगानेर जिला जयपुर पर अवैध रूप से कब्जा ना करे ना करावें, वादी को जबरन बेदखल ना करे व करावें, तथा ना ही वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें व करावें। एव मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। एव मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी नम्बर–4 दौराने वाद राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन न करें ना करावें।

वादी की ओर से पेश दावा दर्ज रजिस्टर [illegible] वादी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस वादी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर वादी की ओर से पेश वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया गया। अतः तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर, वादी की वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर, वादी की वाके ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 234, 454/516, 459 वादी के हिस्से का नियमानुसार सभी प्रतिवादी खातेदारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 549 की सीमाज्ञान के पश्चात् वादी के वाके ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 549 (वादी के हिस्से तक) में किसी प्रकार का दखल नही करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested